<u>समक्ष उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल।</u>

माननीय श्री संजय कुमार मिश्रा
एवं
माननीय श्री आलोक कुमार वर्मा

21 जुलाई, 2022
शासकीय अपील संख्या 9 वर्ष 2013

<u>मध्य</u>
उत्तराखंड राज्य ... अपीलकर्ता
एवं
संजय शाह व अन्य ... प्रतिवादीगण
संलग्न

शासकीय अपील संख्या 11 वर्ष 2013

<u>मध्य</u>
उत्तराखंड राज्य ... अपीलकर्ता
एवं
संजय शाह ... प्रतिवादी

उत्तराखण्ड राज्य/अपीलार्थी के अधिवक्ता : श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता।
प्रतिवादीगणों के अधिवक्ताः श्री आदित्य सिंह।

न्यायालय ने निम्नवत निर्णय पारित कियाः
(माननीय श्री आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति के अनुसार)

यह दोनों शासकीय अपीलें, दिनांक 10.10.2012 के संयुक्त निर्णय के विरूद्ध योजित की गई है, जो विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 27 वर्ष 2011 ''राज्य बनाम संजय शाह व अन्य'' में पारित किया गया है, जिसके द्वारा, विद्वान परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी/अभियुक्त व्यक्तियों को आईपीसी की धारा 302 भा0दं0सं0 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के आरोप से बरी किया गया है एवं सत्र परीक्षण संख्या 5 वर्ष 2012 ''राज्य बनाम संजय शाह'' में, जिससे प्रतिवादी को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 30 के तहत दंडनीय अपराध से बरी किया गया है। यह दोनों शासकीय अपीलें आपस में संयोजित अपीलें हैं, इसलिए, इन दोनों शासकीय अपीलों का निस्तारण इस संयुक्त निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. संक्षिप्त में कहा जाये तो अभियोजन कथानक, जैसा कि अभिलेख पर उपलब्ध है एवं साक्ष्यों की पुनः समीक्षा से स्पष्ट होता है, यह है कि दिनांक 07.06.2011 को मृतक दिनेश रावत की पत्नी के भाई के विवाह में मृतक दिनेश रावत, उसके मित्रगण मृतक राम सिंह भंडारी, गवाह दाता राम, आरक्षी (पी0डब्ल्यू–04) और गवाह यशपाल सिंह (पी0डब्ल्यू–05) शामिल हुए थे। दिनेश रावत के पिता नारायण सिंह रावत (पी0डब्ल्यू–01) भी उक्त विवाह में उपस्थित थे। दिनेश रावत, राम सिंह भंडारी, दाता राम एवं यशपाल सिंह अपरान्ह् करीब 3:45 बजे विवाह समारोह से वापस लौटे थे। उन्होंने शराब और अपना भोजन लिया था। रात लगभग 10 बजे, दाता राम (पी0डब्ल्यू–04) एवं यशपाल सिंह (पी0डब्ल्यू–05) दिनेश रावत के साथ दिनेश रावत की ही एक नई मारुति वैगनआर कार में रानीखेत के लिए रवाना हुए थे। जबकि राम सिंह भंडारी

मोटरसाइकिल से रानीखेत के लिए रवाना हुए थे। जब राम सिंह भंडारी रानीखेत जाने के अपने रास्ते में जा रहे थे, उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई। उस हादसे में राम सिंह भंडारी को उक्त दुर्घटना के कारण चोटें आईं, जिससे वह भी दिनेश रावत की कार में बैठ गए।

3. दिनांक 08.06.2011 को रात्रि करीब 12 बजे मृतक दिनेश रावत के पिता नारायण सिंह रावत को ग्राम प्रधान द्वारा सूचना मिली कि दिनेश रावत की कार में दो शव मिले हैं। नारायण सिंह रावत रात करीब तीन बजे घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि कार के शीशे बंद थे और रामसिंह भंडारी की लाश आगे की सीट पर पड़ी थी तथा दिनेश रावत की लाश कार की पिछली सीट पर पड़ी थी।

4. दिनांक 09.06.2011 को पंचनामे की कार्यवाही की गई। पटवारी भूपाल गिरी गोस्वामी (पी0डब्ल्यू–06) ने पंचनामा आख्या (प्रद्वर्श क–05) तैयार किया।

5. उसी दिन यानी दिनांक 09.06.2011 को राम सिंह भंडारी, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष थी, एवं दिनेश रावत, जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष थी, के शवों का पोस्टमार्टम डॉ. दीप प्रकाश (पी0डब्ल्यू–13) द्वारा क्रमशः अपरान्ह् 02.10 बजे एवं अपरान्ह् 04.00 बजे किया गया।

6. दिनांक 09.06.2011 को अपरान्ह् 05.00 बजे, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट(प्रद्वर्श क–25) अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध, नारायण सिंह रावत (पी0डब्ल्यू–01) की लिखित तहरीर (प्रद्वर्श क–01) के आधार पर दर्ज की गई।

7. पुलिस द्वारा मृत व्यक्तियों के खून से सने कपड़े कब्जे में लिए गये।

8. दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164 के तहत दाता राम (पी0डब्ल्यू–04) (प्रद्वर्श क–03) तथा यशपाल सिंह (पी0डब्ल्यू–05) (प्रदर्श क–04) के बयान क्रमशः दिनांक 11.07. 2011 एवं दिनांक 18.07.2011 को दर्ज किए गए। दाता राम व यशपाल सिंह के बयानों के अनुसार, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज किये गये, उन्होंने मोटरसाइकिल की रोशनी में घटना देखी थी, लेकिन घायल दिनेश रावत ने उन्हें बताया कि घटना संजय शाह और योगेश मैनाली के द्वारा कारित की गई।

9. गुप्त मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.07.2011 को अभियुक्तगणों संजय शाह एवं विकास उर्फ योगेश मैनाली को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के समय अभियुक्त संजय शाह के कब्जे से एक रिवाल्वर 0.32 बोर (वस्तु प्रद्वर्श–14) व उक्त रिवॉल्वर का एक लाइसेंस बरामद किया गया। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए कथन किया गया कि उसने और विकास उर्फ योगेश मैनाली ने उसी रिवॉल्वर से दिनेश रावत और राम सिंह भंडारी की हत्या की थी। निरीक्षक रामी राम (पी0डब्ल्यू–11) द्वारा एक फर्द बरामदगी (प्रद्वर्श क–28) तैयार किया गया। फर्द बरामदगी के अनुसार, प्रयास के बावजूद, कोई भी स्वतंत्र गवाही नहीं की जा सकी। निरीक्षक रामी राम द्वारा एक साइट प्लान (प्रद्वर्श क–36) तैयार किया गया। खून से सने कपड़े और बरामद रिवॉल्वर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षक रामी राम (पी0डब्ल्यू–11) द्वारा दोनों प्रतिवादीगणों–अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रद्वर्श क–41) दाखिल किया गया और जिला अधिकारी की अनुमति लेने के उपरांत, उपनिरीक्षक बल्लभ भट्ट (पी0डब्ल्यू–12) द्वारा अभियुक्त संजय शाह के विरूद्ध आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 30 के तहत आरोप पत्र (प्रद्वर्श क–44) दाखिल किया गया।

10. अभियुक्तगणों द्वारा आरोपों से इनकार किया गया और परीक्षण चाहा गया।

11. अभियुक्तगणों के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों को परीक्षित कराया।

12. अभियुक्तगणों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 जा0फौ0 के तहत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्यों को अस्वीकार किया गया। अभियुक्त संजय शाह के अनुसार पुलिस ने अल्मोड़ा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बुलाकर उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर ली गई थी।

13. अभियुक्तगणों द्वारा अपने पक्ष में कोई साक्ष्य बचाव में पेश नहीं किया।

14. विचारण न्यायालय ने तर्कों को सुनने के उपरांत एवं साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत निर्णित किया कि अभियोजन अभियुक्तगणों के विरुद्ध आरोपों को सभी युक्तियुक्त संदेहों से परे सिद्ध करने में असफल रहा है।

15. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना।

16. श्री जे.एस. विर्क, विद्वान उप महाधिवक्ता, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मामले के स्पष्ट तथ्यों की पूरी तरह से अनदेखी की है, जिसमें अभियुक्तगणों की संलिप्तता पूर्ण रूप से सिद्ध है, दाता राम (पी0डब्ल्यू–04) एवं यशपाल सिंह (पी0डब्ल्यू–05) के साक्ष्य भरोसेमंद हैं, अभियुक्त–प्रतिवादी संजय शाह ने अपना अपराध स्वयं स्वीकार किया था और अभियुक्त संजय शाह के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद किया गया था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादीगणों–अभियुक्तगणों का दोष पूर्ण रूप से सिद्ध है। अतः दोषमुक्ति का निर्णय कानून की नजर में उचित नहीं है।

17. वहीं दूसरी तरफ, प्रतिवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह ने आलोच्य निर्णय का समर्थन किया।

18. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बरी होने का निर्णय अभियुक्तगणों की निर्दोषता की अवधारणा को और अधिक शक्ति प्रदान करता है। यह देखना भी न्यायालय का समान रूप से कर्तव्य है कि दोषी सजा से बचने न पाये। अतः हमने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का भली–भांतिपूर्वक परिशीलन किया।

19. राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित साक्ष्यों पर जोर दियाः–

(i) यह कि प्रतिवादी–अभियुक्त संजय शाह द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया।

(ii) यह कि एक रिवाल्वर, जो अपराध में प्रयुक्त किया गया था, प्रतिवादी–अभियुक्त संजय शाह के कब्जे से बरामद हुआ था।

(iii) यह कि दाता राम (पी0डब्ल्यू–04) एवं यशपाल सिंह (पी0डब्ल्यू–05) के साक्ष्य प्रतिवादीगणों–अभियुक्तों के अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।

20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 अपने आप में विस्तृत है तथा किसी भी परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को किसी भी परिस्थिति में साक्ष्य माने जाने से प्रतिवारित करता है और किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस की हिरासत में दिए गए बयान को भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 के तहत साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है, जब तक कि उक्त बयान मजिस्ट्रेट की वास्तविक उपस्थिति में न दर्ज कराया गया हो।

21. अब, महत्वपूर्ण प्रश्न जो विचारणीय है कि क्या मृत्यु रिवाल्वर (वस्तु प्रद्वर्श–14) से कारित की गई।

22. फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उत्तराखंड की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 27.08.2011 के अनुसार, 0.32 बोर की रिवाल्वर के बैरल में फायरिंग डिस्चार्ज अवशेष पाये गये, अतः निष्कर्ष यह निकाला गया कि 0.32 बोर की रिवॉल्वर से ही फायर किया गया था।

23. अभियोजन के अनुसार गोली बरामद/जब्त नहीं हुई थी। अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि घटना उसी आग्नेयास्त्र से कारित की गई जिसे परीक्षण के लिए भेजा गया था। अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि मृत व्यक्तियों के खून से सने कपड़े परीक्षण हेतु भेजे गए थे। लेकिन, मात्र इस तथ्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि प्रतिवादीगणों द्वारा ही अपराध कारित किया गया। अतः अभियोजन ठोस साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि वास्तव में, प्रतिवादी संजय शाह द्वारा आग्नेयास्त्र से गोली चलाई गई। (वस्तु प्रद्वर्श–14)।

24. प्रतिवादीगणों के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य सिंह ने तर्क दिया कि दाता राम (पी0डब्ल्यू–04) एवं यशपाल सिंह (पी0डब्ल्यू–05) के साक्ष्य, जिनके आधार पर अभियोजन द्वारा प्रतिवादीगणों को दोषी ठहराया गया, विश्वसनीय नहीं है क्योंकि दाता राम और यशपाल सिंह के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत प्रथम बार क्रमशः दिनांक 11.07.2011 एवं दिनांक 18.07.2011 को कथित घटना के लगभग एक माह से अधिक अवधि के उपरांत दर्ज किये गय।

25. निरीक्षक रामी राम (पी0डब्ल्यू–11) के अनुसार, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अन्तर्गत दाता राम का बयान दिनांक 07.07.2011 को दर्ज किया गया। अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया जिसके कारण अन्वेषण के दौरान उनके बयान दर्ज करने में इतनी अत्यधिक देरी हुई।

26. दाता राम और यशपाल सिंह के बयानों के अनुसार, उन्होंने घटना को मोटरसाइकिल की रोशनी में देखा था, लेकिन, घायल दिनेश रावत ने उन्हें बताया कि यह घटना संजय शाह एवं योगेश मैनाली द्वारा कारित की गई है। अभियोजन का यह कथन कहीं नहीं है कि पहचान परेड कराई गई थी। जबकि, रामी राम (पी0डब्ल्यू–11) ने अपने बयान में कथन किया है कि शिकायतकर्ता नारायण सिंह रावत ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान में दाता राम और यशपाल सिंह पर संदेह जताया था, जो घटना के समय मृत व्यक्तियों के साथ थे।

27. पीडब्लू–4 दाता राम, आरक्षी, ने अपने साक्ष्य में कहा है कि उसने इस घटना की सूचना अपने लेफ्टिनेंट कर्नल को दी थी, लेकिन उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत ऐसा कोई बयान नहीं दिया।

28. पीडब्लू–5 यशपाल सिंह ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि उसने पहले घटना की कोई सूचना किसी को भी नहीं दी थी, क्योंकि वह घबरा गया था।

29. जगजीत सिंह उर्फ जग्गा बनाम पंजाब राज्य, (2005) 3 एससीसी 689, एवं आंध्र प्रदेश राज्य बनाम एस. स्वर्णलता व अन्य, (2009) 8 एससीसी 383 के वाद में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि यदि अन्वेषण के दौरान किसी गवाह के परीक्षण में कोई देरी होती है और सम्बंधित देरी हेतु कोई उचित कारण नहीं दिया जाता है, तो उस साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

30. वर्तमान मामले में, अभियोजन द्वारा कोई भी ठोस कारण नहीं दिये गये कि क्यों अन्वेषण के दौरान दाता राम और यशपाल सिंह के बयानों को दर्ज करने में इतनी देरी हुई।

31. यद्यपि, डॉ. दीप प्रकाश (पी0डब्ल्यू–13) के अनुसार, मृत व्यक्तियों के शवों पर आग्नेयास्त्रों के घाव पाए गए थे और मृत व्यक्तियों की मृत्यु मानव वध थी, अभियोजन को यह साबित करना होता है कि मृतकों की मृत्यु प्रतिवादीगणों द्वारा कारित की गई और सभी मानवीय संभावनाओं के दृष्टिगत, अपराध मात्र प्रतिवादीगणों द्वारा ही कारित किया गया है। अभिलेखों के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादीगणों के विरूद्ध अपराध हेतु कोई भी आशय संयोजित नहीं किया गया है।

32. भगवान सिंह व अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2002) 4 एससीसी 85 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि स्वर्णिम धागा, जो आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन को निर्धारित करता है, यह है कि यदि किसी आपराधिक वाद में एक से अधिक सम्भावनायें, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, बलवती होती है, जिसमें एक सम्भावना के आधार पर अभियुक्त का दोष प्रतीत होता है एवं दूसरी सम्भावना में उसकी निर्दोषता प्रतीत होती है, तो उस स्थिति में उस सम्भावना को स्वीकार किया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो।

33. आपराधिक न्यायशास्त्र का यह भी एक बुनियादी नियम है कि संदेह कितना भी मजबूत हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता। सुजीत बिश्वास बनाम असम राज्य, एआईआर 2013

एससी 3817 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि संदेह कितना भी गंभीर हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है और ''सिद्ध हो सकता है'' एवं ''सिद्ध किया जायेगा'' में एक विस्तृत अंतर होता है। आपराधिक परीक्षण में, संदेह कितना भी मजबूत क्यों न हो, साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता और न ही साक्ष्य का स्थान लेने की अनुमति देनी चाहिए। यह इस कारण से है कि ''हो सकता है'' और ''होना चाहिए'' के बीच की मानसिक दूरी काफी बड़ी है, और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से विभाजित करती है। आपराधिक वाद में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि मात्र अनुमान या संदेह विधिसम्मत् साक्ष्य का स्थान न ले ले। ''सच हो सकता है'' और ''सच होना चाहिए'' के बीच की बड़ी दूरी को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत स्पष्ट, ठोस और अचूक साक्ष्य के माध्यम से पाटा जाना चाहिए, इससे पहले कि एक अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए, तथा बुनियादी और स्वर्णित नियम का पालन किया जाना चाहिए।

34. अभियोजन के साक्ष्यों के विस्तृत परीक्षण एवं परिशीलन के उपरांत, यह न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए मत को सम्पुष्ट करता है। हमारे सुविचारित विचार में, अभियोजन प्रतिवादीगणों–अभियुक्तों के विरूद्ध कथित अपराध कारित किये जाने को सभी उचित संदेहों से परे सिद्ध करने में असफल रहा है। वे संदेह का लाभ पाने के पात्र हैं। अतः हम विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये मत से पूरी तरह सहमत हैं और आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

35. परिणामस्वरूप, दोनों अपीलें यथा शासकीय अपील संख्या 9 सन् 2013 एवं शासकीय अपील संख्या 11 सन् 2013 खारिज किए जाने योग्य हैं। इन दोनों अपीलों को तदनुसार खारिज किया जाता है।

संजय कुमार मिश्रा, जे.।

आलोक कुमार वर्मा, जे.।

दिनांक 21.07.2022